संख्या-239/2016/आर-1307/26-3-2016-4(22)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 29 दिसम्बर 2016

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत ट्रान्जेक्शन फेल्योर से सम्बन्धित धनराशि के व्यय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-112/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-26.04.2016 एवं पत्रांक-113/स.क./शिक्षा-अ/2015-16, दिनांक-26.04.2016 एवं निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1863/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-01.08.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त अनुसूचित जाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में ट्रान्जेक्शन फेल्योर होने के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि रूपये-3913.73976 लाख (रूपये उनतालिस करोड़ तेरह लाख तिहत्तर हजार नौ सौ छिहत्तर मात्र) एवं सामान्य वर्ग छात्र-छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रूपया-1274.93882 लाख (रूपया बारह करोड़ चौहत्तर लाख तिरानबे हजार आठ सौ बयासी मात्र) अर्थात कुल धनराशि रूपया-5188.67858 लाख (रूपया इक्यावन करोड़ अट्ठासी लाख सरसठ हजार आठ सौ अट्ठावन मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-80 के योजनान्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद
अनुसचिव

पृ.संख्या-239/2016/आर-1307(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in